

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज

588/2025/223

अभिजात व/स वेदलाल

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2025/588	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी श्री अदनपुरी जोध्याती	श्री उमेश कुमार
4/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं रैल्वो. उपनि...। राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्तो दिनांक 23/3/26 को पेश हो। <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">                     राजस्व अपील प्राधिकारी                      राजमेर                 </div>
23/3/26	पत्रावली पेश की गई। वकूलाय डप. अभिजात उपपपत्र वकूम हिलु लपप चालो है, जो अपि जाला है. सांपं आकरपड रूप से वकूम करें। पत्रावली वाले वकूम अगिल अपिांड 24/3/26 को पेश हो। <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">                     राजस्व अपील प्राधिकारी                      राजमेर                 </div>
24/3/26	पत्रावली पेश की गई। अभिजात अपीलान्त एवं अपीलान्त एवं अनुपस्थित। अभिजात अपीलान्त एवं अपीलान्त को कई बार कक-कक कर आवाजे पिलारि गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। जला अपील अपीलान्त अडपु हाजरी - अडपु पेशी के खाजि की जाली है, पत्रावली के मलशुगार डिअर नम्बर ले कर है। <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">                     राजस्व अपील प्राधिकारी                      राजमेर                 </div>



श्री गडनपुरी जोखामी राज  
अपील पेश की प्रतीक  
आज लाज रिपोर्ट टांक  
पेश की

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
अजमेर  
30/11/25

श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर  
अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 588/2025 जिला अजमेर

श्रीमति सुमित्रा पत्नि सूरजमल सामरिया निवासी पोस्ट बंवाल तहसील  
परबतसर जिला नागौर हाल निवासी गली नं0 2 कवीर नगर, लोहागल,  
अजमेर।

— अपीलांत

बनाम्

1. बंशीलाल पुत्र सुवाजी जाति रेगर, निवासी ग्राम नरवर, तहसील व  
जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय,  
अजमेर दिनांक 13.11.2025 अन्तर्गत वाद संख्या 84/2024  
बउनवानी सुमित्रा बनाम् बंशीलाल व अन्य।

588/2025  
30/11/25

पुन  
C/P  
31/11/2025  
Nskd/Date  
5.1.2026

श्रीमान्जी,

अपीलांत की ओर से निम्न निवेदन है:-

- (अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीया/  
अपीलांत ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 92 (ए) राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 व 136  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विद्वान सहायक कलक्टर  
(मु0) महोदय, अजमेर के समक्ष विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट्स/रेस्पोंडेन्ट्स

(M)